18/10/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 9 की तलबी हेतु सम्मन तलबाने Regd A.D. पेश हो। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 11/11/24 को पेश हो।

18/10/24

11/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रतिवादी सं. 1 व 9 के रजिस्टर्ड AD सम्मन पेश कर पेश नहीं करने पर आदेश 9 नियम 5 के तहत कार्यवाही की जावेगी पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो

18/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादीया। वादी अधि. उप. नहीं। वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण 1 व 9 की तलबी हेतु सम्मन तलबाने पेश करने के निरन्तर अवसर दिये जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाने पेश नहीं किये गये हैं। वादी। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी पेश नहीं करने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 की पालना नहीं करने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 व 54 राज. काश्तकारी अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

18/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लादी पत्नी भंवरलाल गुर्जर पुत्री गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पूजा पुत्री श्री भंवरलाल गुर्जर आयु 11 वर्ष जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती लादी पत्नी भंवरलाल गुर्जर पुत्री गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्रेम पुत्री श्री भंवरलाल गुर्जर आयु 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती लादी पत्नी भंवरलाल गुर्जर पुत्री गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कृष्णा पुत्री भैरूलाल आयु वयस्क निवासी
3. राधा पुत्री भैरूलाल आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती लाड देवी पत्नी
4. पुजा पुत्री भैरूलाल आयु 10 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती लाड देवी पत्नी
5. काना पुत्र भैरूलाल आयु 7 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती लाड देवी पत्नी
6. हेमराज पुत्र रामा जी गुर्जर आयु 18 वर्ष निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. रूकमा पत्री रामा जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. गंगा देवी पत्नी रामा जी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. देवा पुत्र गोपी गुर्जर आयु वयस्क निवासी पटवार भवन के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. उपपंजीयन कार्यालय, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन आराजियात अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 221/2012 राजस्व वाद

इस वाद में आज तारीख 18.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण उपस्थित नहीं एवं वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 9 के सम्मन तलवाना पेश नहीं किये –

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी पेश नहीं करने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 की पालना नहीं करने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 एवं 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है।

18/11/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा